

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(लोकेश कुमार गोत्तम, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या

20 / 2018

हेमन्त शर्मा निवासी ब्रह्म अखाडा के पास ताखा जी की गली टोडारायसिंह जिला टोंक राज0

—अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह जिला टोंक

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 10.05.2018

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह को आवेदन पत्र दिनांक 23.02.2018 को प्रेषित कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गई:—

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह के माह जुलाई 2017 से माह जनवरी 2018 के टेलीफोन बिल की सत्य प्रमाणित प्रतिलिपियां भ्रष्टाचार निवारणार्थ लोकहित में देने की कृपा करे।

अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह को पत्र क्रमांक 597 दिनांक 10.04.2018, 658 दिनांक 19.04.2018, व 694 दिनांक 26.04.2018 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह ने पत्र क्रमांक 252 दिनांक 20.04.2018 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी को पत्र क्रमांक 251 दिनांक 20.04.2018 से सूचना उपलब्ध करवादी गई है। प्रार्थी के उपस्थित न होने से यह जाहिर है कि लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह से प्राप्त सूचना से अपीलार्थी सहमत है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।



21/5
(लोकेश कुमार गौत्तम)
जिला कलेक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी टोंक